v/;k;&VI ½ dj fHké çkfIr;k

6-1 y[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2006–07 के निम्न प्राप्तियों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान 314 मामले में 252.37 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होना उद्घटित हुआ जिसे नीचे दर्शाया गया है :

¼djkM #i;s e½

Øe la[;k	Js.kh	ekeyksa dh la[;k	jkf'k
d- [kku ,oa [kfut			
1.	"[kku ,oa [kfut ls ÁkfIr;k" ¼,d leh{kk½	1	38.32
2.	नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं किया जाना	7	34.99
3.	अर्थदण्ड/फीस का आरोपण नहीं किया जाना	36	30.64
4.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	9	9.17
5.	बालू घाट के नहीं/अनियमित बंदोबस्ती होने के कारण नीलामी राषि का आरोपण नहीं/कम किया जाना	6	3.81
6.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	11	2.28
7.	सतही रेन्ट/डेड रेन्ट का कम आरोपण अथवा आरोपण नहीं किया जाना	4	1.47
8.	रॉयल्टी एवं उपकर का नहीं/कम आरोपण	1	0.20
9.	अन्य मामले	18	16.77
dqy		93	137-65
[k- ty nj			
1.	जल दर के निर्धारण में विलम्ब	11	10.85
2.	अन्य मामले	40	65.01
dqy		51	75-86
x- ou çkfIr;k			
1.	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	115	13.54
2.	माँग का कम सृजन होना	1	2.08
3.	अन्य मामले	54	23.24
dqy		170	38-86
dqy ;kx		314	252-37

वर्ष 2006–07 के दौरान संबंधित विभागों ने 89 मामलों में शामिल 108.33 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जो वर्ष 2006–07 में इंगित किये गये थे।

"[kku ,oa [kfut ls ÁkfIr;k" पर समीक्षा के लेखापरीक्षा परिणाम जिसमें कुल 38.32 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव शामिल हैं एवं दृष्टांतस्वरूप 9.53 करोड़ रुपये से सन्निहित कुछ अन्य मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैः

d % [kku ,o [kfut

6-2 [kku ,o [kfut l ÁkfIr;k

e[; v'k

खान निदेषक द्वारा दोषी ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किये जाने का अनुश्रवण के लिए जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा संधारित ईंट भट्ठा रजिस्टर के समीक्षा की प्रणालियों में कमी के कारण 7.89 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

¼dfMdk 6-2-7½

जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्रों के ब्योरे के सत्यापन को खान निदेषक द्वारा समीक्षा को सुनिष्चित करने की प्रणाली में कमी के कारण कार्य संवेदकों के विरूद्ध 12.79 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

¼dfMdk 6-2-8½

कोषागार आँकड़ों के साथ विभागीय आँकड़ों का मिलान करने में जिला खनन पदाधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये का दुर्विनियोजन हुआ।

¼dfMdk 6-2-10½

आठ जिला खनन कार्यालयों में 2001–02 से 2006–07 के दौरान 44 पत्थर के खानों और बालू घाटों के बन्दोबस्ती दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप 3.60 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क का नहीं/कम वसूली हुई।

¼dfMdk 6-2-12½

पाँच जिला खनन कार्यालयों में 9.64 करोड़ रुपये रक्षित मूल्य के 118 बालू घाटों के अबन्दोबस्त रहने के फलस्वरूप 8.95 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

¼dfMdk 6-2-13½

6-2-1 çLrkouk

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (एम.एम.आर.डी. अधिनियम), 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली (बी.एम.एम.सी. नियमावली), 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली (एम.सी. नियमावली), 1960 द्वारा शासित होता है। खनिजों के खनन से प्राप्तियाँ मुख्यतः रॉयल्टी, डेड रेंट, सतह रेंट, पट्टा/परमीट/संभावित अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस, अर्थदण्ड, जुर्माना और बकायों का विलंब से भुगतान पर ब्याज द्वारा उपार्जित होती है। ईंट मिट्टी, भवन पत्थर, क्ले, चूना पत्थर और बालू इत्यादि राज्य में उपलब्ध लघु खनिज हैं।

y[kkijh{kk e [kku ,o [kfutk l Ákflr;k dh ,d leh{kk dh xbZ FkhA blds nkjku dkQh Á.kkyhxr vkj vuqikyu =fV;k dk irk pyk ftl vkx dh dfMdkvk e mYy[k fd;k x;k gA

6-2-2 lxBukRed <kpk

खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, खनिज रियायत प्रदान करना, निर्धारण, खनन बकायों का आरोपण एवं संग्रहण सरकार स्तर पर, आयुक्त सह सचिव, खान एवं भुतत्व विभाग द्वारा प्रषासित होते हैं। विभाग के प्रधान खान निदेषक होते हैं जिनकी सहायता सात खान उपनिदेषक, एक मुख्यालय एवं छः अंचल स्तर पर तथा जिलों में 27 जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा की जाती है। राजस्व निर्धारण, रॉयल्टी एवं अन्य खनन बकायों के आरोपण एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी की होती है जो जिला खनन कार्यालय के प्रभारी होते हैं। अंचल के खान उपनिदेषक अपीलीय प्राधिकारी होते हैं एवं खान राजस्व के बकाया की वसूली हेतु नीलामवाद पदाधिकारी की शक्तियाँ भी उनमें समाहित हैं।

6-2-3 y[kkijh{kk dk mís';

समीक्षा यह जाँचने के लिए की गई थी किः

- खनन एवं रॉयल्टी की वसूली, डेड रेंट, सतही रेंट, पट्टा परमिट/संभावित अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस, जुर्माना, अर्थदण्ड एवं विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज से संबंधित अधिनियमों/नियमों/प्रावधानों को सही तरह से लागू किया गया है;
- वसूल किये गये राजस्व का उचित लेखांकन सरकारी लेखा के उचित शीर्ष में हुआ; तथा
- विभाग के क्रिया कलाप के अनुश्रवण हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अस्तित्व में था।

6-2-4 y[kkijh{kk dk {ks=

27 में से नौ जिला खनन कार्यालयों[1], छः में से दो अंचलों[2] एवं खान निदेषालय के वर्ष 2001–02 से 2005–06 से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा नवम्बर 2006 एवं जून 2007 के मध्य की गई थी। इकाइयों का चयन राजस्व संग्रहण[3] के आधार पर किया गया है।

6-2-5 LohÑfr

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवष्यक सूचना एवं अभिलेख को उपलब्ध कराने में खान एवं भूतत्व विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। समीक्षा के परिणामों को सरकार को जुलाई 2007 में अग्रसारित किया गया था और दिनांक 9 अक्तूबर 2007 की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के

---

1 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पटना और रोहतास

2 गया एवं पटना

3 वर्ष 2005–06 के दौरान कुल संग्रहण का 69 प्रतिषत

साथ इस पर विचार विमर्ष किया गया था। सरकार के उत्तर को संबंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः सम्मिलित कर लिया गया है।

y[kkijh{kk ifj.kke

6-2-6 jktLo dh Áof`Uk

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के बजट आकलनों एवं वास्तविक प्राप्तियों के विवरण नीचे दिये गये हैं:

¼djksM+ #i;s eas½

o"kZ	ctV vkdyu	okLrfod Ákflr;k¡	fHkérk	fHkérk dh ifr'krrk
2001–02	50.00	39.20	(–)10.80	(–)21.60
2002–03	61.60	61.20	(–)0.40	(–)0.65
2003–04	75.00	73.34	(–)1.66	(–)2.21
2004–05	81.00	80.09	(–)0.91	(–)1.12
2005–06	81.00	100.90	(+)19.90	(+)24.57

विभाग की प्राप्तियाँ तदन्तर बढ़ती गई जो प्रोत्साहक प्रवृत्ति है। वर्ष 2005–06 में बजट आकलन से 19.90 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः मिट्टी कार्य हेतु नेषनल थर्मल पावर कॉरपोरेषन (एन.टी.पी.सी.), बाढ़ से रॉयल्टी की प्राप्ति एवं पत्थरों के खान की नीलामी और कार्य विभाग से अन्य प्राप्तियाँ थी।

Á.kkyhxr =qfV;k¡

6-2-7 bZV HkÎk ls Ákflr;k¡

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं इसके अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना (मार्च 2001) के अनुसार ईंट भट्ठा का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। ईंट भट्ठा मालिकों को रॉयल्टी की समेकित राषि को निर्धारित दर पर दो किस्तों (50 प्रतिषत का प्रथम किष्त भट्ठा के परिचालन से पूर्व एवं 50 प्रतिषत का द्वितीय किष्त उक्त वर्ष के मार्च माह के पूर्व) में भुगतान करना है। नियम 28 पुनः प्रावधित करता है कि खनन परमिट के प्रत्येक आवेदन के साथ 2000 रुपये देना होगा।

नियम 26 क के अनुसार ईंट मिट्टी निकालने वाला/ईंट भट्ठा मालिक विहित तरीके से रॉयल्टी की समेकित राषि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे व्यवसाय को चालू रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सक्षम पदाधिकारी या कोई अन्य पदाधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किये गये हैं, वैसे व्यवसाय को बन्द कराने में सक्षम होंगे। आगे बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान एवं सरकार द्वारा निर्गत निर्देषों (अक्तूबर 1986) के अन्तर्गत जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी/खान निरीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि अवैध खनन के परिचालन का पता लगाने के लिए प्रत्येक महीने ईंट भट्ठे का निरीक्षण करें।

खान एवं खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम यह प्रावधित करता है कि ईंट भट्ठा मालिक द्वारा अधिनियम के प्रावधान का लगातार उल्लंघन करने पर एक अतिरिक्त जुर्माना, जो प्रथम वैसे उल्लंघन हेतु दोषी सिद्ध होने के बाद लगातार उल्लंघन करने पर, 500 रुपये प्रतिदिन तक होगा, आरोपित किया जा सकता है।

प्रत्येक जिला खनन पदाधिकारी द्वारा एक ईंट भट्ठा रजिस्टर का संधारण करना है जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों का नाम एवं उनके द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी का वर्णन हो। jkW;YVh dk Hkqxrku ugha djus okys nks"kh bZV HkÎk ekfydksa ,oa vFkZn.M ds vkjksi.k ds vuqJo.k grq ftyk [kuu inkf/kdkfj;ksa }kjk lqj/kkfjr bZV HkÎk jftLVjksa dk [kku funs'kd }kjk leh{kk dk lqfuf'pr djus grq dksbZ Á.kkyh ugha FkkA ,slh Á.kkyh ds vHkko esa fofHkké Ádkj dh =qfV;ksa dk irk pyk ftudk mYys[k uhps fd;k x;k gSA

6-2-7-1 bZV feÍh ds vo/k [kuu ds fy, vFkZn.M dk vkjksi.k ugha

वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान छः जिला खनन कार्यालयों[4] के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 603 ईंट भट्ठा बिना परमिट एवं रॉयल्टी की समेकित राषि का भुगतान किये बगैर परिचालित थे। अतः ईंट भट्ठों का परिचालन अवैध था। gkykafd lHkh bZV HkÍksa dk fujh{k.k ftyk [kuu inkf/kdkfj;ksa }kjk fd;k x;k Fkk vkSj vo/k ifjpkyu ik;k x;k Fkk] ysfdu fcgkj y?kq [kfut leqnku fu;ekoyh ds vUrxZr 3-16 djksM[5] #i;s ds vFkZn.M ds vkjksi.k grq dksbZ dkjZokbZ ugha dh xbZ Fkh (परिषिष्ट–IX)।

6-2-7-2 yxkrkj mYya?ku djus ij tqekZuk ugha yxk;s tkus ds dkj.k gkfu

पाँच जिला खनन कार्यालयों[6] के रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 82 दोषी ईंट भट्ठा मालिक वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान दो से पाँच वर्षों तक लगातार अवैध रूप से ईंट मिट्टी निकालने में संलग्न थे एवं बगैर परमिट प्राप्त किए और रॉयल्टी का भुगतान किए बिना भट्ठा का परिचालन कर रहे थे। ;|fi vo/k ifjpkyu dh tkudkjh foHkkxh; Ákf/kdkfj;ksa dks Fkh] ysfdu blsa cUn djkus ,oa tqekZuk vkjksfir djus dh dkjZokbZ ugha dh xbZ FkhA अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों की लगातार अवहेलना के अतिरिक्त, इसके फलस्वरूप 4.73 करोड़ रुपये का अधिकतम अर्थदण्ड का आरोपण भी नहीं हुआ था, जैसा कि नीचे उल्लिखित हैः

¼yk[k #i;s esa½

Øe la[;k	ftyk [kuu dk;kZy; ds uke	nks"kh bZV HkÎk ekfydksa dh la[;k	2001&02 ls 2005&06 ds nkSjku mYya?ku dh vof/k	tqekZuk dk ugha yxk;k tkuk
1.	औरंगाबाद	17	2 से 5 वर्ष	107.68
2.	कैमूर	16	2 से 4 वर्ष	83.93
3.	नवादा	16	2 से 5 वर्ष	105.85
4.	पटना	16	2 से 4 वर्ष	73.00
5.	रोहतास	17	2 से 5 वर्ष	102.20
dqy		**82**	**--**	**472.66**

4 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, पटना और रोहतास

5 उत्खनित मिट्टी के वास्तविक मूल्य के अभाव में ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा भुगतेय रॉयल्टी पर मूल्य की गणना की गई है, जो कि लागत की गणना हेतु एक अवयव है।

6 कंडिका 6.2.7.1 में संदर्भित छः जिला खनन कार्यालयों में से चार जिला खनन कार्यालयों (औरंगाबाद, कैमूर, पटना एवं रोहतास) उभयनिष्ठ हैं।

इसे इंगित किये जाने के बाद, सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2007) कि अवैध खनन रोकने हेतु अन्तर्विभागीय गष्ती दल का गठन किया जा चुका है और नीलामवाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है जहाँ पूर्व में नहीं किया गया था।

6-2-7-3 C;kt dk vkjki.k ugh fd;k tkuk

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अनुसार सरकार को देय कोई रेंट, रॉयल्टी या फीस अथवा अन्य कोई रकम पर सरकार 24 प्रतिषत प्रतिवर्ष के दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर सकती है।

तीन जिला खनन कार्यालयों/सहायक खनन कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2001–02 से 2004–05 की अवधि में 475 ईंट भट्ठा समेकित रॉयल्टी के भुगतान किए बगैर परिचालित थे और 293 ईंट भट्ठा, रॉयल्टी का एक हिस्सा ही भुगतान किए थे। जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों ने प्रभावी नियंत्रण हेतु विहित रजिस्टर का संधारण नहीं किया था जिससे कि रॉयल्टी के भुगतान की तिथि का सत्यापन हो सके। उक्त रजिस्टर के अभाव में 3.44 करोड़ रुपये के अभुगतित रॉयल्टी पर 2.27 करोड़ रुपये के ब्याज की राषि का आरोपण नहीं हो सका था (परिषिष्ट–X)।

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2007) कि ब्याज की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

foHkkx] jktLo {kj.k dk jkdu gr| vo/k [kuu d fy, ftyk [kuu inkf/kdkfj;k@lgk;d [kuu inkf/kdkfj;k dk mÙkjnk;h cuku gr| fopkj dj ldrh gA bV HkÎk jftLVj dk r;kj fd;k tk ldrk gA vuJo.k d Á;ktu gr| [kku fun'kd }kjk bV HkÎk jftLVj dh mi;Dr vkof/kd leh{kk Hkh fu/kkfjr fd;k tk ldrk gA

6-2-8 [kfut d vo/k vf/kÁkflr d fy, dk;l lovndk d fo:) vFkn.M dk vjki.k ugh fd;k tkuk

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे। कार्य विभाग, संवेदकों द्वारा किए गये कार्य में व्यवहृत खनिजों के लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तबतक स्वीकार नहीं करेगा जबतक वह निर्धारित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। जो पदाधिकारी उक्त विपत्र को प्राप्त करेगा, उसका कर्त्तव्य है कि प्रपत्र की छाया प्रति एवं ब्योरे को संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को भेज दें। संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्रों के सारांष के सत्यापन से अगर यह प्रकट होता है कि खनिज का क्रय किसी वास्तविक पट्टाधारी से नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि खनिजों की प्राप्ति अवैध खनन द्वारा की गई है और ऐसी परिस्थिति में उक्त जिला खनन

7 भोजपुर, कैमूर तथा पटना

पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी, कार्य संवेदकों के विरूद्ध उन नियमों के प्रावधानानुसार कार्रवाई करेगा। y[kkijh{kk lkoh{kk l ;g irk pyk fd dk;l foHkkx Ái= ',e' ,o ',u' dh Nk;k Áfr] ftyk [kuu inkf/kdkfj;k@lgk;d [kuu inkf/kdkfj;k dk ÁLrr ugh dj jg FkA ftyk [kuu inkf/kdkfj;k@lgk;d [kuu inkf/kdkfj;k }kjk Ái=k d C;kj dk lR;kiu fd;k tk jgk Fkk] bldh [kku funs'kd }kjk leh{kk dk lfuf'pr dju d fy, dkbl Á.kkyh Hkh ugh FkhA ,lh Á.kkyh d vHkko e dkQh xyfr;k dk irk pyk tk uhp mfYyf[kr gSA

नौ जिला खनन कार्यालयों[8] के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि तीन कार्य विभागों[9], ने, कार्य संवेदकों द्वारा उपयोग किए गए खनिजों का ब्योरा, जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को सत्यापन हेतु नहीं भेजा था। इसके बावजूद विभागों ने वर्ष 2001–02 से 2005–06 के अवधि के दौरान संवेदकों से व्यवहृत खनिजों के लिए 12.79 करोड़ रुपये के रॉयल्टी का आरोपण किया और सरकारी खाते में जमा कराया। यह दर्षाता है कि खनिजों का क्रय किसी प्राधिकृत पट्टाधारी/व्यवसायी से नहीं किया गया था एवं संवेदक रॉयल्टी के अतिरिक्त अर्थदण्ड के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थे। ysfdu ftyk [kuu inkf/kdkfj;k@lgk;d [kuu inkf/kdkfj;k }kjk dk;l foHkkxk l jk;YVh d C;kj dh Ákflr d i'pkr lR;kfir dju d fy, dk;l foHkkx l Ái= ',e' ,o ',u' dk ekxu ,o vo/k [kuu d ekey dk irk yxku gr dkbl vuqorh dkjokbl ÁkjEHk ugh fd;k x;k FkkA यह न केवल संवेदकों को अवैध रूप से खनिजों का क्रय/उत्खनन करने को प्रोत्साहित करता है बल्कि इसके फलस्वरूप 12.79 करोड़ रुपये राषि का अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया गया जैसा कि नीचे दिखलाया गया हैः

¼djksM+ #i;s e½

Øe la[;k	ftyk [kuu dk;kZy;ksa ds uke	Ok"kZ	jkf'k
1.	औरंगाबाद	2001-02 से 2005-06	0.93
2.	कैमूर	2002-03 से 2005-06	1.21
3.	भोजपुर	2001-02 से 2005-06	1.98
4.	गया	2003-04 से 2005-06	2.02
5.	जमुई	2005-06	1.07
6.	मुंगेर	2001-02 से 2005-06	0.78
7.	नवादा	2001-02 से 2005-06	1.70
8.	पटना	2001-02 2005-06	2.98
9.	रोहतास	2005-06	0.12
dqy			**12.79**

टिप्पणी– बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40 (8) के अनुसार खनिज के मूल्य में उत्पादन की लागत, हथालन व्यय, परिवहन लागत, रॉयल्टी, बिक्री कर एवं अन्य कर और उपकर तथा लाभ सम्मिलित है। लेकिन अवयवों के दरों के अभाव में खनिज के मूल्य के लिए केवल रॉयल्टी को ध्यान में रखा गया था।

8 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पटना और रोहतास

9 लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा षहरी विकास विभाग

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि कोषागार पदाधिकारी को निर्देष निर्गत कर दिये गये हैं कि प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किए बगैर संवेदकों के विपत्र पर विचार न किया जाए। तथापि, इन गलतियों का पता लगाने में जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों की विफलता पर उत्तर खामोष है।

ljdkj] ftyk [kuu inkf/kdkfj;k@lgk;d [kuu inkf/kdkfj;k] tk Ái= ',e' ,o ',u' d foojf.k;k dk Ákir ,o lR;kiu dju e foQy jgr g mu ij mÙkjnkf;Ro fu/kkfjr dju ij fopkj dj ldrh gA

6-2-9 jktLo olwyh Á.kkyh

बिहार वित्तीय नियमावली के अंतर्गत, नियंत्री पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि सरकारी बकायों का सही एवं वास्तविक निर्धारण, वसूली एवं कोषागार में जमा किये जाने को सुनिष्चित करे। लोक माँग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व पर्षद के निर्देषों के अनुसार माँग पदाधिकारी और नीलामवाद पदाधिकारी नीलामवाद मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे और किसी प्रकार की कठिनाई होने पर नीलामवाद मामलों के निष्पादन को सुनिष्चित करने हेतु इसकी सूचना बगैर विलम्ब के समाहर्त्ता को देंगे।

नीलामवाद की व्यवस्था लागू करने, आपत्तियों का त्वरित निष्पादन करने एवं शीघ्र कार्यान्वयन हेतु माँग पदाधिकारी प्राथमिक रूप से जिम्मेवार होंगे। उन्हें यह भी सुनिष्चित करना होगा कि कार्यान्वयन कार्यवाही संतोषजनक रूप में प्रगति पर है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली और समय–समय पर उसके अधीन निर्गत अनुदेषों के अन्तर्गत भुगतेय रेंट, रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की राषि, बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगा। तदनुसार बकाया की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया प्रारंभ कर देना है, इस हेतु माँग पदाधिकारी को रजिस्टर IX में मामलों के विवरण को संधारित करना है और नीलामवाद हेतु नीलाम पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजना है जो मामलों को रजिस्टर X में दर्ज करेंगे। bu jftLVjk dh Áfof"V;k dk feyku gr le;≤ ij fr;kd tkp djuh g ,o le; ij uhykeokn ekeyk d fu"iknu dk Hkh lfuf'pr djuk gA पुनः अनुज्ञप्ति धारक/प्राधिकृत व्यवसायी के मामलों में, जो निर्धारित समय पर किसी तरह के सरकारी बकाया राषि के भुगतान करने में विफल रहते हैं तो देय तिथि से सात महीनों के अन्दर नीलामवाद दायर कर देना आवष्यक है।

6-2-9-1 cdk;k jktLo dh fLFkfr

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समर्पित वर्षवार राजस्व के बकायों का विवरण नीचे दिये गये हैं:

o"k (rd)	Ákxfl o jkf'k (djkM रुपये e)
2001-02	75.28
2002-03	83.93
2003-04	99.03
2004-05	116.63
2005-06	125.86

125.86 करोड़ रुपये के कुल बकाया राजस्व में से 106.26 करोड़ रुपये (84.42 प्रतिषत) नीलामवाद कार्रवाई से आच्छादित था।

मामला इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में बतलाया कि बकाये राषि की जल्द वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

6-2-9-2 uhykeokn ekeyk l lxg.k

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि लंबित नीलामवाद मामलों की उम्रवार विवरणी और उनके निष्पादन के साथ–साथ राषि की वसूली का वर्ष जिससे वह संबंधित थे, विभाग में उपलब्ध नहीं था। jftLVj IX] ftl ekx inkf/kdkjh }kjk l/kkfjr djuk Fkk] mfpr rjhd l l/kkfjr ugh dju d dkj.k foHkkx bl fLFkfr e ugh Fkk fd cdk;k jkf'k vkj oly h dh fLFkfr dk vuJo.k djA ftyk Ákf/kdkjh }kjk ÁLrr gku oky Áfrounu@fjVu dh 0;oLFkk ugh Fkh ftl l fd uhykeokn d ekeyk dh fLFkfr dk irk py ldA लेखापरीक्षा के अनुरोध पर विभाग संबंधित जिला प्राधिकारियों से वर्ष 2001–02 से 2005–06 के नीलामवाद बकाये का वर्षवार संग्रहण के आँकड़ों को प्राप्त किया जो नीचे उल्लिखित हैः

¼djkM #i; e½

o"k	uhykeokn cdk; l lxg.k					
	cdk;k		lxg.k		Áfr'krrk	
	ekeyk dh l[;k	jkf'k	fu"ikfnr ekeyk dh l[;k	Ákl r jkf'k	ekey	jkf'k
2001-02	30,066	65.56	406	1.81	1.35	2.76
2002-03	अनुपलब्ध	75.15	409	1.74	अनुपलब्ध	2.31
2003-04	32,618	82.83	256	1.56	0.78	1.88
2004-05	32,417	96.24	176	0.83	0.54	0.86
2005-06	34,828	108.39	435	2.13	1.25	1.96

इस प्रकार, विभाग द्वारा नीलामवाद के मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु अनुपालन की कार्रवाई प्रभावी नहीं था जिसके फलस्वरूप 106.26 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व का संचय हुआ। लंबे अवधि तक लम्बित मामले से वसूली की संभावना भी दूरस्थ होती जा रही है।

मामला इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर 2007 में बतलाया कि मामलों की त्वरित निष्पादन हेतु कार्रवाई की जाएगी।

6-2-9-3 uhykeokn nk;j ugh fd;k tkuk

जिला खनन कार्यालय रोहतास एवं पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 65 लाख रुपये से सन्निहित वर्ष 2002–03 के 48 मामलों को संबंधित माँग पदाधिकारियों द्वारा रजिस्टर IX में दर्ज किया गया था और नीलामवाद दायर करने हेतु नीलामवाद पदाधिकारी को भेजा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी के रजिस्टर X की प्रविष्टियों के सत्यापन से प्रकट हुआ कि ये मामले नीलामवाद की प्रक्रिया हेतु रजिस्टर में लेखांकित नहीं किए गये थे। राजस्व के बकाया विवरणी के अवलोकन से यह पता चला कि ये

राषियाँ जिला खनन पदाधिकारी (माँग पदाधिकारी) के अभिलेखों में भी बकाया राजस्व के रूप में परिलक्षित नहीं हो रहा था। bl Ádkj] jftLVj **IX** dh Áfof"V;ksa dk] uhykeokn inkf/kdkjh }kjk l/kkfjr jftLVj **X** ds Áfof"V;ksa ds lkFk fr;kssd tkap esa ekax inkf/kdkjh dh foQyrk ds dkj.k uhykeokn inkf/kdkjh }kjk uhykeokn ÁkjEHk ugha fd;k x;k FkkA

मामला इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि नीलामवाद की कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

jktLo ds fgr esa ljdkj] uhykeokn ekeyksa dks le; ls vkSj Rofjr ÁkjEHk@fu"iknu dks lqfuf'pr djus gsrq Á.kkyh dks lqn`< djus dk fopkj dj ldrh gSA

6-2-10 ljdkjh jktLo dk nqfoZfu;kstu

fcgkj foÙkh; fu;ekoyh] Hkkx **I** ds fu;e 7 ds vuqlkj lacaf/kr fu;a=h inkf/kdkjh dk ;g nkf;Ro gS fd ljdkj ds cdk;ksa dk lgh ,oa rRijrk ls vkdyu ,oa olwyh gks jgk gS vkSj dks"kkxkj esa tek gks x;k gSA rnqlkj mudks pkfg, fd viuk v/khuLFk ls mfpr Ái= esa ekfld ys[kk ,oa fjVuZ tks bl rF; dk nkok djrk gS fd dks"kkxkj esa jkf'k tek dh xbZ gS ;k vU; lkrks ls ys[kkfdr fd;k x;k gS vkSj ftlds feyku dks"kkxkj tek ls] tks egkys[kkdkj ¼y0 ,oa gd0½] fcgkj }kjk ÁLrqr fd;k x;k gS] ;g nkf;Ro ds fy, fd tks jkf'k lxzfgr Áfrofnr fd;k x;k Fkk] ykd ys[kk esa i.kZ:i ls.k tek fd;k x;k gSA ;fn xyr tek] fu;a=h inkf/kdkjh ds utj esa vkrk gS rks mudks ys[kkvksa esa l/kkj gsrq rqjar egkys[kkdkj ¼y0 ,oa gd0½] fcgkj dks bldh lwpuk nuh pkfg,A ;fn fdlh jkf'k ds tek dk nkok fd;k tkrk gS ysfdu og ys[ks esa ugha ik;k x;k rks bldh [kkstchu lacaf/kr foHkkxh; inkf/kdkjh ls djkuk pkfg,A

ftyk [kuu inkf/kdkfj;ksa@lgk;d [kuu inkf/kdkfj;ksa }kjk [kfut ÁkfIr;ksa lacaf/kr ÁkIr dh xbZ jkf'k dks cSad Mªk¶V jftLVj@uxn jkf'k ds fy, dPpk pkyku jftLVj esa ntZ fd;k tkuk gSA ftyk [kuu inkf/kdkjh@lgk;d [kuu inkf/kdkjh dks ÁkIr jktLo dh fooj.kh ,oa ljdkjh [kkrs esa tek lacaf/kr ekfld fooj.kh Hkh Hkstuk gSA mUgsa tek jkf'k dh lR;rk dk dks"kkxkj ds vfHkys[kksa ls Hkh lR;kiu djuk gSA

ftyk [kuu inkf/kdkjh] uoknk }kjk Hkstsa x, o"kZ 2003&04 ,oa 2004&05 ds ekfld fjVuZ dh leh{kk ls irk pyk fd cSadj ?kkVksa ds uhykeh ls jktLo ds :i esa Øe'k% 1-96 djksM+ #i;s ,oa 2-32 djksM+ #i;s ÁkIr fd, x, Fks vkSj dks"kkxkj esa tek fd, x, FksA ys[kkijh{kk }kjk dks"kkxkj inkf/kdkjh] uoknk ds dks"kkxkj ÁkfIr vuqlwph ds fr;kssd tkap ls ;g irk pyk fd mDr vof/k ds nkSjku ek= 2-58 djksM+ #i;s ljdkjh [kkrs esa tek fd, x, FksA ftyk [kuu inkf/kdkjh ds }kjk foHkkxh; vkadMksa dks dks"kkxkj vkadMksa ds lkFk feyku

dju e foQyrk d QyLo:i 1-70 djkM #i; dk nfofu;ktu gvk (परिशिष्ट–XI)A

ekeyk bfxr fd; tku d i'pkr lj dkj u vDrcj 2007 e y[kkijh{kk voykduk dk Lohdkj djr g, dgk fd dk;ky; d lcf/kr deipkfj;k d fo:) foHkkxh; dkjokbZ ÁkjEHk dj nh xbZ gA

foHkkx d jktLo vkdMk dk dk"kkxkj d ol vkdMk l ÁR;d ekg feyku fd; tku dk vfuok;Z dju dk foHkkx vuqn'k fuxr dj ldrh gA

6-2-11 vkrfjd y[kkijh{kk

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, जो संगठन को इस बात के लिए आष्वस्त करता है कि विहित प्रणाली अच्छी तरह से कार्यषील है। सरकार के विभिन्न विभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा 1953 में वित्त विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने कहा कि विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षा, अधीनस्थ कार्यालयों के प्रषासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। खान एवं भूतत्व विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान मात्र 15 अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया था।

अंकेक्षण हेतु कार्यालयों की संख्या, वास्तविक में अंकेक्षित कार्यालयों की संख्या एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति, निर्गत कंडिकाएँ तथा उनके निष्पादन से संबंधित विवरणी, अनुरोध किये जाने के बावजूद खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था (नवम्बर 2007)। इसके अतिरिक्त न केवल खान एवं भूतत्व विभाग बल्कि आंतरिक अंकेक्षण प्रभाग इस स्थिति में नहीं था कि समीक्षा के वर्षों की अवधि में भेजी गई/प्राप्त की गई अभियाचना की संख्या को बता सके। ;g n'kkrk g fd Ácu/ku dk Á.kkyh d nk"ki.k fØ;kdykik d {k=k dk irk yxku d fy, fdlh rjg dh 0;oLFkk ugh FkhA vr% lgh le; ij l/kkjkRed dkjokbZ gr dkbZ volj ugh jg x;kA

इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा, जो किसी संगठन के प्रबंधन के पास उसके दक्षतापूर्ण क्रियाकलाप को सुनिष्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है, अप्रभावी और अपरिचालित रह गया।

ljdkj] vkrfjd y[kkijh{kk ÁHkkx dk ÁHkkoh cuku d fy, lefpr ekin.M viuk ldrh gA

vuqikyu =fV;k

6-2-12 enkd 'kYd] vf/kHkkj ,o vfrfjDr vf/kHkkj dk de@ugh yxk;k tkuk

6-2-12-1 बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली यह प्रावधित करता है कि किसी खनिज के उत्खनन के अधिकार को पाँच वर्षों के लिए पट्टा पर दिया जा सकता है और विहित ढंग से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बन्दोबस्त किया जाए। प्रदान किए गये पट्टा विहित

प्रपत्र "डी" में निष्पादित होगा या वैसे प्रपत्र में जो उसके समान हो, जैसा कि प्रत्येक मामले हेतु परिस्थिति माँग करता हो। नियम पुनः स्पष्ट करता है कि जहाँ खनन पट्टा प्रदान किया गया हो वहाँ पट्टे की स्वीकृति आदेष के 90 दिनों के अंदर विधिवत पट्टे का निष्पादन होगा एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अन्तर्गत जैसा कि प्रावधित है, पट्टाधारी को तीन प्रतिषत[10] की दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित मुद्रांक शुल्क के समतुल्य अधिभार एवं 10 प्रतिषत अतिरिक्त अधिभार भी आरोप्य है।

तीन जिला खनन कार्यालयों[11] के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 88.57 एकड़ की 44 पत्थर के खानों की बन्दोबस्ती 57.27 करोड़ रुपये पर फरवरी 2002 से जुलाई 2006 की बीच की गई थी। लेकिन विभाग ने 31 पत्थर खान के मामले में जिनमें नीलाम की राषि 55.55 करोड़ रुपये सन्निहित था, मुद्रांक शुल्क, अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के 3. 48 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं किया था। 13 मामलों में विभाग ने 12.52 लाख रुपये के बदले मात्र 1.29 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क, अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार का आरोपण किया था। इसके फलस्वरूप 3.60 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं/कम हुई थी (परिषिष्ट–XII)।

मामले इंगित किये जाने के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि जिला खनन कार्यालय, नवादा के मामले में मुद्रांक शुल्क वसूल किया गया था जो कि पट्टा दस्तावेज के मूल्य (वार्षिक आधारित) का पाचवाँ भाग है और शेष 30 मामलों में माँग का सृजन कर दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि पाँच वर्ष के पट्टा अनुबंध के पाचवाँ भाग पर मुद्रांक शुल्क की वसूली वैध रूप में अनुमान्य नहीं है और जिस मूल्य पर बन्दोबस्ती हुई थी उस पूरे मूल्य पर मुद्रांक षुल्क आरोप्य था। शेष मामलों में मुद्रांक षुल्क की वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6-2-12-2 बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं दिसम्बर 2002 में भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना प्रावधित करता है कि जहाँ उक्त बन्दोबस्ती सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है वहाँ साधारणतया 60 दिनों के अन्दर दस्तावेजों का निष्पादन होगा और भारतीय मुद्रांक अधिनियम में जैसा कि विहित है, मुद्रांक शुल्क प्रभारित होगा। बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत दस्तावेजों के निष्पादन हेतु मुद्रांक शुल्क के समतुल्य अधिभार के साथ–साथ 10 प्रतिषत अतिरिक्त अधिभार भी आरोपित किया जाना है।

सात जिला खनन कार्यालयों[12] के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि कलेण्डर वर्ष 2004 एवं 2006 के बीच 47.30 करोड़ रुपये पर 245 बालू घाटों की बन्दोबस्ती हुई थी। लेकिन विभाग ने, जैसा कि नियम/अधिसूचना के अन्तर्गत अपेक्षित था, कोई बन्दोबस्ती दस्तावेजों का निष्पादन नहीं किया था। अतः प्रावधानों के अनुपालन में जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार सहित मुद्रांक शुल्क के मद में 1.02 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई (परिषिष्ट–XIII)।

---

10 प्रपत्र "डी" के भाग IX के उपबन्ध 9 के अन्तर्गत उद्‌घोषित अनुमानित रॉयल्टी के गणना पर आधारित है।

11 मुंगेर, नवादा तथा रोहतास

12 औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, नवादा, पटना और रोहतास

मामले इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में माँग का सृजन किया जा चुका था। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6-2-13 cky ?kkVk dh cUnkcLrh ugh gku d dkj.k gkfu

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अन्तर्गत, लघु खनिज के रूप में बालू घाटों की बन्दोबस्ती संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा वार्षिक आधार पर उच्चतर डाककर्त्ता को सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी।

पाँच जिला खनन कार्यालयों[13] के बालू घाटों के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि कैलेण्डर वर्ष 2002 से 2006 के दौरान 9.64 करोड़ रुपये के रक्षित मूल्य के 118 बालू घाटों की बन्दोबस्ती नहीं हुई थी। कैलेण्डर वर्ष 2002 और 2004 में रोहतास जिला के 27 में से 15 बालू घाटों का विभागीय परिचालन किया गया था और 6.02 करोड़ रुपये रक्षित मूल्य के विरूद्ध मात्र 68 लाख रुपये का ही संग्रहण हुआ था। चूँकि नदीय बालू का संचय एवं समापन एक सतत प्रक्रिया है, वर्ष दर वर्ष बालू घाटों के बन्दोबस्ती में प्रभावी कदम उठाने में कमी के कारण सरकार को 8.95 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिषिष्ट–XIV)।

मामले इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि बालू घाटों के बन्दोबस्ती हेतु कोई भी डाककर्त्ता नहीं आया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने विभागीय स्तर पर बालू घाटों का संचालन कर सकता था। पुनः बालू घाटों के विभागीय स्तर पर किये गये संचालन के मामलों में रक्षित मूल्य की वसूली में विभाग की विफलता पर भी उत्तर मौन है।

6-2-14 iRFkj [kkuk d vfood i.k cUnkcLrh d dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 52 (1) (i) जैसा कि मार्च 2001 से संषोधित है, के अनुसार नियम 9 क के अन्तर्गत अधिसूचित खनिज के संबंध में पत्थर के खानों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा पट्टा पर देना/बन्दोबस्ती की जानी है। सरकार ने अगस्त 2001 में बिहार के सभी जिलों के पत्थर खानों के रक्षित मूल्य को अधिसूचित किया और तद्नुसार पट्टाधारी को केवल नीलामी राषि का भुगतान करना था।

जिला खनन कार्यालय, मुंगेर एवं रोहतास के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 12 पत्थर खानों को अक्तूबर 2002 एवं मार्च 2004 के बीच पाँच वर्षों के लिए 4.42 करोड़ रुपये की नीलामी राषि पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बन्दोबस्त की गई थी। पट्टाधारियों ने मार्च 2006 तक उक्त पत्थर खानों से 4,20,96,181 घन फीट पत्थर का उत्खनन किया था। यदि संषोधन के पूर्व विहित तरीके से पट्टा पर दिया गया होता तो रॉयल्टी के रूप मे 11.91 करोड़ रुपये की राषि प्राप्त होती। इस प्रकार, पत्थर के खानों को पट्टा पर देने के बदले नीलाम करने का सरकार का अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण 7.50 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिषिष्ट–XV)।

---

[13] औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, पटना और रोहतास

मामले इंगित किये जाने के पश्चात सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि निदेष निर्गत (नवम्बर 2004) किया गया था कि जिन मामलों में उत्खनित पत्थर से प्राप्त होने वाले रॉयल्टी की राषि, नीलामी राषि से अधिक हो, तो बन्दोबस्तीधारी को अंतर की राषि का भुगतान करना होगा। हालाँकि, इस प्रकार के सुधारात्मक निर्देषों को निर्गत करने में तीन वर्षों से अधिक के विलम्ब के संबंध में सरकार का उत्तर खामोष है, जिसके कारण लेखापरीक्षा में नमूना जाँचित इन 12 पत्थर के खानों के मामले में राजस्व की हानि हुई।

6-2-15 cky ?kkVk d foHkkxh; ifjpkyu d dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 11 क प्रावधित करता है कि एक कैलेण्डर वर्ष के लिए बालू घाटों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा उच्चतर डाककर्त्ता को किया जाना है। दिसम्बर 2001 में सरकार ने तय किया कि यदि बालू घाट नीलामी द्वारा बन्दोबस्त नहीं होता है तो इनका परिचालन विभागीय स्तर पर कराया जाए।

सरकार ने, आदर्ष चुनाव आचार संहिता के लागू रहने के कारण जनवरी से मार्च 2005 तक के अवधि के लिए बालू घाटों के बन्दोबस्ती, वर्ष 2004 के रक्षित मूल्य के आधार पर तीन महीने के आनुपातिक रक्षित फीस की गणना कर वर्ष 2004 के बन्दोबस्तीधारी के साथ बन्दोबस्त करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, बालू घाटों के बन्दोबस्ती हेतु दिसम्बर 2004 में सभी जिला समाहर्त्ता को अनुदेष निर्गत कर दिये गये थे।

जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर के कैलेण्डर वर्ष 2005 के बालू घाटों के बन्दोबस्ती से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2004 के बन्दोबस्तीधारी पिछले 12 महीनों के औसत रक्षित मूल्य पर जनवरी से मार्च 2005 की अवधि के लिए 77.28 लाख रुपये का भुगतान करने हेतु सहमत थे। जिला समाहर्त्ता, लखीसराय ने दिसम्बर 2004 में मामले पर उपयुक्त दिषा निर्देष हेतु सरकार को संदर्भित किया था। विभाग ने निर्णय लिया कि पूर्व के बन्दोबस्तीधारी को यह कार्य आवंटित नहीं किया जाए और इस तर्क पर कि डाककर्त्ता इस कार्य को करने में सहमत नहीं है, कार्य को विभागीय स्तर पर कराने हेतु अनुदेष निर्गत कर दिया गया था। सरकार का यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि पूर्व के बन्दोबस्तीधारी द्वारा स्वीकार्य का लेखापरीक्षा अवलोकन को जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा पुनः पुष्टि (नवम्बर 2007) की गई थी। विभाग ने विभागीय परिचालन से इस अवधि के दौरान मात्र 3.49 लाख रुपये ही संग्रहित कर पाया था। इस प्रकार पूर्व के बन्दोबस्तीधारी को कार्य आवंटित करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 73.79 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

6-2-16 jyo Vd d fuek.k e [kfutk dk vo/k 0;ogkj d fy, vFkn.M dk vkjki.k ugh fd;k tkuk

फरवरी 2000 में भारत सरकार ने अधिसूचना निर्गत कर स्पष्ट किया कि तटबंध, सड़क, रेलवे एवं भवन के निर्माण में, भरने या सतहीकरण में व्यवहृत सामान्य मिट्टी लघु खनिज है। आगे, प्रत्येक सहायक खनन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी को निर्माण कार्य में संलग्न संवेदकों की सूची रखना है।

बिहार खनिज समनुदान नियमावली (27) (1) प्रावधित करता है कि आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में किसी निर्दिष्ट भूमि से खनिज का उत्खनन और हटाये जाने हेतु किसी व्यक्ति को प्रपत्र 'ई' में खनन अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

जिला खनन पदाधिकारी, नवादा के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रेलवे ट्रैक के निर्माण में 12.79 लाख घन मीटर मिट्टी एवं 72,000 घन मीटर मोरम[14] का उपयोग हुआ था जिसके लिये रेलवे संवेदकों से रॉयल्टी वसूल नहीं की गई थी। रेलवे संवेदकों ने मिट्टी एवं मोरम के उत्खनन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया था। जिला खनन पदाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि संवेदकों ने अवैध रूप से खनिज का उपयोग किया था जो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के दण्डात्मक प्रावधानों को आकर्षित करता है। यद्यपि, संवेदकों के विरूद्ध, 2.13 करोड़ रुपये के रॉयल्टी की वसूली हेतु तीन नीलामवाद दायर किये गये थे, लघु खनिज के अवैध उत्खनन के लिए 2.13 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ था, जैसा कि नीचे दर्षाया गया है:

losndks ds uke	15 #i;s Áfr ?ku ehVj dh nj ls feÍh Hkjus dk dk;l	30 #i;s Áfr ?ku ehVj dh nj ls ekje	Hkxr; jk;YVh ¼yk[k #i;s e½
मोदी कन्स्ट्रक्षन प्रोपराइटर–श्री नवीन मोदी,काँके रोड, राँची	9,09,000 घन मीटर	-----	136.35
–– तथैव ––	3,00,000 घन मीटर	48,000 घन मीटर	59.40
मेसर्स एलाइड कम्पनी कोलकाता प्रोपराइटर–श्री अजय कुमार	70,000 घन मीटर	24,000 घन मीटर	17.70
dqy	**12,79,000**	**72,000**	**213.45**

मामला इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अक्तूबर 2007 में बताया कि जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को आवष्यक दिषा निर्देष निर्गत कर दिया गया था। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6-2-17 iRFkj ds [kkuks ds iÍs dk vfu;fer uohuhdj.k

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान के अन्तर्गत खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु आवेदन, पट्टे के समाप्ति के पूर्व 90 दिनों तक लेकिन 180 दिनों के पहले नहीं करेगा। हालाँकि, सरकार ने मार्च 2001 में वर्तमान पट्टे के नवीनीकरण को खत्म कर दिया और नवादा जिले में पाँच वर्षों के लिए दो एकड़ के पट्टा के प्रत्येक इकाई का रक्षित मूल्य 11.50 लाख रुपये नियत कर दिया था।

जिला खनन कार्यालय, नवादा के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि 162 एकड़ पत्थर के खान के पट्टे की अवधि 30 सितम्बर 2001 को समाप्त होना था। हालाँकि विभाग ने सरकार के आदेष की अवहेलना करते हुए पट्टेधारी के पक्ष में 7 अप्रैल 2001 को 53.10 एकड़ (162 एकड़ में से) का नवीनीकरण कर दिया। इसके बाद विभाग ने खान क्षेत्र को बगैर कब्जा किये ही अप्रैल 2007 में खनन पट्टा के परिचालन को स्थगित कर दिया। इस

[14] सड़क का सतहीकरण करने में व्यवहृत मिट्टी एवं क्ले का मिश्रण

दौरान इस तरह के खनन परिचालन के अनियमित नवीनीकरण के कारण विभाग को नये बन्दोबस्ती से प्राप्य नियत रक्षित मूल्य के मद में 1.31 करोड़ रुपये[15] की हानि उठानी पड़ी।

सरकार, लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए अक्तूबर 2007 में कहा कि वसूली हेतु आदेष निर्गत कर दी गई थी। सरकार के आदेष का उल्लंघन कर इस तरह के अवैध नवीनीकरण से संबंधित कारणों से हालाँकि उत्तर खामोष है, जिसके कारण राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

6-2-18 jktLo ÁkfIr;ksa dk feyku ugha fd;k tkuk

विभाग को उनके द्वारा संधारित अभिलेखों में प्राप्तियों के आँकड़ों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार के अभिलेखों में दर्ज आँकड़ों से मिलान करना है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि समीक्षा के अवधि के दौरान मिलान का कार्य नहीं किया गया था। फलतः विभागीय आँकड़ों और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार द्वारा तैयार की गई वित्त लेखे में सन्निहित आँकड़ों के बीच भिन्नता थी जो दिये गये हैः

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	foÙk ys[kk d vuqlkj Ákfir	foHkkx d vuqlkj Ákfir	vUrj
2001-02	39.20	40.99	(+)1.79
2002-03	61.20	57.52	(-)3.68
2003-04	73.34	67.59	(-)5.75
2004-05	80.09	75.33	(-) 4.76
2005-06	100.90	96.39	(-) 4.51

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि सभी जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को आँकड़ों के मिलान हेतु आवष्यक निर्देष दिया जा चुका है।

6-2-19 fu"d"kZ

खनन प्राप्तियाँ राज्य का द्वितीय सबसे बड़ा कर भिन्न प्राप्तियाँ है। लेखापरीक्षा समीक्षा में खनन प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली में त्रुटियाँ का पता चला जो राजस्व के क्षरण को बढ़ावा दिया एवं अवैध तथा अनधिकृत खनन परिचालन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण भी नहीं हुआ। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बहुत ही कमजोर था जैसा कि जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा विहित रजिस्टर के संधारण और उपयुक्त कार्रवाई करने में विफलता से प्रमाणित होता है। आंतरिक लेखापरीक्षा किसी भी संगठन के पास उसके दक्षतापूर्ण क्रियाकलाप को सुनिष्चित करने हेतु एक महतवपूर्ण साधन है, उचित ध्यान के अभाव में अप्रभावी एवं अपरिचालित रह गया।

6-2-20 vuq'kalkvksa dk lkj

प्रणालीगत एवं अनुपालन बिन्दुओं के सुधारने हेतु सरकार निम्नलिखित अनुषंसाएँ लागू करने पर विचार कर सकती हैः

---

15 01.10.2001 से 31.03.2007 की अवधि अर्थात् 5 1/2 वर्ष

53.10/2 X 11.5 लाख/5 वर्ष X 5 1/2 वर्ष	=	335.86 लाख रुपये
मार्च 2007 तक प्राप्त राजस्व को घटाकर	=	(–) 204.87 लाख रुपये
(सहायक खनन पदाधिकारी, नवादा से विचार–विमर्ष के अनुसार)		130.99 लाख रुपये

- राजस्व के क्षरण को रोकने के लिए अवैध खनन हेतु जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों को उत्तरदायी बनायें। ईंट भट्ठा रजिस्टर तैयार कराया जाये। अनुश्रवण के प्रयोजन हेतु खान निदेषक द्वारा ईंट भट्ठा रजिस्टर की उपयुक्त आवधिक समीक्षा भी निर्धारित किया जा सकता है;
- उन जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों पर, जो प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' में विवरणों को प्राप्त एवं सत्यापित करने में विफल रहते हैं, उत्तरदायित्व निर्धारित करे;
- राजस्व के हित में नीलामवाद मामले का समय पर एवं त्वरित प्रारंभ/निष्पादन को सुनिष्चित करने हेतु प्रणाली को सुदृढ़ करे;
- प्रत्येक माह विभाग के राजस्व आँकड़ों को कोषागार के आँकड़ों से मिलान को अनिवार्य करने के लिए अनुदेष निर्गत हो; एवं
- आंतरिक अंकेक्षण प्रभाग को प्रभावी बनाने हेतु उचित मापदण्ड अपनाएँ।

ख: जल दर

6.3 खतियानी के माँग का सृजन नहीं किया जाना

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के लिये जल आपूरित किये गये लाभार्थियों से जलदर की वसूली हेतु खरीफ के लिये 30 नवम्बर, रबी के लिये 30 अप्रैल एवं गर्मा फसलों के लिये 15 जून तक, सिंचाई विभाग द्वारा सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकार), कृषकवार मापी (खेसरा) तथा माँग विवरणी (खतियानी)[16] तैयार करना है। इन विवरणियों को वसूली हेतु विभाग के राजस्व प्रमण्डलों को भेजा जाना है।

सात प्रमंडलों[17] के अभिलेखों की अप्रैल एवं नवम्बर 2006 में किये गये नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान खरीफ का 2.11 लाख हेक्टेयर एवं रबी का 2.17 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हेतु खतियानी तैयार नहीं की गई थी तथा सिंचाई विभाग द्वारा सम्बन्धित राजस्व प्रमण्डलों को नहीं भेजा गया था। इसके फलस्वरूप खरीफ के लिये 4.55 करोड़ रुपये एवं रबी फसलों के लिये 4.01 करोड़ रुपये के जलदर की माँग का सृजन एवं संग्रहण नहीं हुआ।

मामले इंगित किये जाने के बाद तीन प्रमण्डलों[18] के कार्यपालक अभियन्ताओं ने जून एवं सितम्बर 2006 के बीच बतलाया कि जल्द से जल्द खतियानी तैयार करने हेतु कार्रवाई की जायेगी। दो प्रमण्डलों[19] के कार्यपालक अभियन्ताओं ने सितम्बर एवं अक्तूबर 2007 के बीच बतलाया कि माँग सृजित कर दिया गया है अन्य कार्यपालक अभियन्ताओं ने खतियानी तैयार नहीं होने का कारण कर्मियों की कमी को ठहराया। उनका जवाब मान्य नहीं हैं,

---

16 सिंचित भूमि की संकलित माँग

17 डेहरी प्रमण्डल, डेहरी; गंगा पम्प प्रमण्डल, चौसा; सिंचाई प्रमण्डल, बौंसी, बिजीखोरबा तथा लक्ष्मीपुर (बाँका में); सोन नहर प्रमण्डल, बिक्रमगंज एवं बक्सर।

18 डेहरी प्रमण्डल, डेहरी; सिंचाई प्रमण्डल, लक्ष्मीपुर (बाँका में) एवं सोन नहर प्रमण्डल, बिक्रमगंज

19 गंगा पंप नहर प्रमण्डल, चौसा एवं सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर

क्योंकि प्रमण्डलों में स्वीकृत बल के संदर्भ में पर्याप्त कर्मी उपलब्ध थे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अक्तूबर 2006 एवं अप्रैल 2007 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

6-4 Ñf"k ;kX; pkV Hkfe dh cUnkcLrh ugh fd;s tkus ds dkj.k jktLo dh gkfu

बिहार सिंचाई नियमावली एवं उसके अधीन निर्गत अनुदेशों के अन्तर्गत चाट भूमि[20] की कृषि हेतु बन्दोबस्ती/नवीकरण प्रत्येक वर्ष जून से मार्च तक की अवधि के लिये, नौ महीनों के पट्टे पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इसके लिए, जलदर सहित विहित दर पर बन्दोबस्ती राषि की वसूली कर बन्दोबस्ती हेतु उपलब्ध चाट भूमि के लिए नहर अवर प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवेदन की माँग करनी है। चाट भूमि के बन्दोबस्त राषि सभी बकायों के साथ अग्रिम में ही वसूल कर लेनी है।

सोन नहर अवर प्रमंडल, करगहर, डेहरी प्रमण्डल के अभिलेखों की जुलाई 2006 में नमूना जाँच से पता चला कि 580.29 एकड़ कृषि योग्य चाट भूमि में से 307.82 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती कालातीत हो गई। लेकिन विभाग ने न तो पूर्व में बन्दोबस्त किये गये लोगों के साथ भूमि को पुर्नबन्दोबस्त करने हेतु कोई पहल की और न ही भूमि की नई बन्दोबस्ती हेतु कोई आवेदन की माँग की गई। इसके बजाए, पूर्व में बन्दोबस्ती लेने वालों द्वारा भूमि को अनधिकृत रूप से अधिकार में रखे गये थे। इस प्रकार, वर्ष 2002–03 से 2005–06 की अवधि के बीच भूमि की बन्दोबस्ती करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 10.83 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामला इंगित किये जाने के बाद कार्यपालक अभियन्ता ने जुलाई 2006 में बतलाया कि खाली भूमि की बन्दोबस्ती हेतु कदम उठाये जाएँगे। जबकि जवाब इतने लम्बी अवधि तक के लिए चाट भूमि के अबन्दोबस्ती के कारणों, जिससे राजस्व की हानि हुई, के प्रति मौन था। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को नवम्बर 2006 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

x- % ou çkflr;k

6-5 lxfgr@nkok ugh fd;s x;s ydMh dk fu"iknu ugh gkus ds dkj.k jktLo dk vo:) gkuk

बिहार वन उत्पाद (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 प्रावधित करता है कि राज्य के वनों से संग्रहित किये गये अथवा संग्रहित किये जाने वाले सभी वन उत्पादों का निस्तारण, प्रत्येक वर्ष अधिमानतः अप्रैल माह के समाप्त होने से पहले, सार्वजनिक निलामी द्वारा किया

20 नहर के दोनों किनारों पर अवस्थित सरकारी भूमि।

जाना है। इसके अलावे, दावा नहीं किये गये लकड़ी को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से निस्तारित किया जाना था।

पाँच वन प्रमण्डलों[21] के अभिलेखों की मई एवं नवम्बर 2006 के बीच किये गये नमूना जाँच से पता चला कि 40.69 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न प्रजातियों की 1,678.679 घन मीटर लकड़ियों एवं 505 घेरे के खम्भे वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान संग्रहित/जब्त किये गये थे तथा मार्च 2006 तक निष्पादित नहीं किये गये थे। इसके फलस्वरूप 40.69 लाख रुपये का राजस्व अवरूद्ध रहा।

इसे इंगित किये जाने के बाद प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, गया ने बतलाया कि विभिन्न डिपो से लकड़ियों को बेच दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निष्पादन हेतु प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, पूर्णिया ने बतलाया कि सभी बकाये ढेरों को प्रत्येक माह नीलामी पर रखा जाता था, परन्तु रैय्यती भूमियों से बाजार में आयी सुखी लकड़ियों की प्रचुर उपलब्धता के कारण बकाये ढेरों की बिक्री धीमी थी। प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, सासाराम ने बतलाया कि लकड़ियों का निस्तारण नये मानदण्डों के अनुसार किया जा रहा था। तथापि यह उत्तर जब्त लकड़ियों के निस्तारण के अनावष्यक विलम्ब पर कोई प्रकाष नहीं डालता है, जिसके कारण वन डिपों में नहीं बेची गई लकड़ियों का संचयन हुआ। अन्ततोगत्वा लकड़ियों का क्षय हुआ एवं परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2007 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

6-6 vfrØfer ou Hkfe l cn[ky ugh fd;k tkuk

समय समय पर संशोधित भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि का अतिक्रमण एक संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है। कोई भी वन पदाधिकारी, जो प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी के पद से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण हो कि सरकारी वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है तो अतिक्रमण करने वाले को बेदखल तथा बिहार पब्लिक लैंड इनक्रोचमेंट एक्ट, 1956 के तहत एक दण्डाधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अतिक्रमण करने वालो से वन उत्पादों एवं वन भूमि की क्षति हेतु रॉयल्टी एवं क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भी भारतीय वन अधिनियम प्रावधित करता है।

वन भूमि का अतिक्रमण सतत जारी रहना तथा उसपर किसी प्रकार का अनधिकृत क्रियाकलाप, माननीय उच्चतम न्यायालय के अतिक्रमणकारियों से पूर्ण बेदखल करने के आदेश[22] की अवहेलना मानी जायेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार ने शीर्ष न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले वन पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु जून 2003 में निर्देश निर्गत किये थे।

जमुई तथा सासाराम वन प्रमण्डलों में मई एवं सितम्बर 2006 में यह पाया गया कि 18 मामलों में 14.9229 हेक्टेयर क्षेत्र के वन भूमि का अतिक्रमण किया गया था। प्रधान मुख्य

---

21 गया, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया एवं सासाराम

22 टी0 एन0 गोदावरम् थिरूमलपद बनाम संघ सरकार, समादेष याचिका (सिविल)–1995 का 202

वन संरक्षक द्वारा जारी किये गये निदेष तथा शीर्ष न्यायालय के आदेषों के बावजूद अतिक्रमणकारियों से वन भूमि की बेदखली सुनिष्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। खड़े पेड़ों की क्षति का मुआवजा हेतु अतिक्रमणकारियों से वसूल की जाने वाली राजस्व का निर्धारण भी विभाग द्वारा नहीं किया गया। प्रति हेक्टेयर 5.80 लाख रुपये के न्यूनतम शुद्ध वर्तमान मूल्य पर, अतिक्रमित वन भूमि का मूल्य 86.56 लाख रुपये है।

मामले इंगित किये जाने के बाद प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, सासाराम ने सितम्बर 2006 में बतलाया कि बेदखली की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है, जबकि प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, जमुई ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

iVuk
fnukd

¼v:.k dekj flg½
ç/kku egky[kkdkj ¼y[kkijh{kk½] fcgkj

çfrgLrk{kfjr

ub fnYyh
fnukd

¼foukn jk;½
Hkkjr d fu;=d-egky[kkijh{kd